आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/फैक्स

मुख्यालय उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवाये,

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्र संख्याः–टीएसएम–23–2015 (मु0आ0परिवहन) दिनांकः–जनवरी 05, 2016

सेवा में,

1–पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 पुलिस प्रशिक्षण/अप0शाखा अपराध अनुसंधान विभाग/पीएसी/रूल्स मैनुअल/अभिसूचना मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
2–निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।
3–डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद।
4–अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद/रेलवेज/फायर सर्विस/एसआईटी/एटीएस/ईओडब्लू/एसआईबी, कोआपरेटिव सेल/पुलिस महानिदेशक के सहायक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0/भ्रष्टाचार निवारण संगठन/ईओडब्लू/विशेष जांच/दूरसंचार/पावर कारपोरेशन लि0/पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0/सुरक्षा मुख्यालय/यातायात निदेशालय/मानवाधिकार उ0प्र0 लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक,पीटीसी द्वितीय मुरादाबाद।
5–पुलिस महानिरीक्षक पीटीसी तृतीय सीतापुर/एटीसी सीतापुर/आरटीसी चुनार/(मिर्जापुर)/पीटीएस उन्नाव/मुरादाबाद/गोरखपुर/मेरठ/महिला सम्मान सुरक्षा प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ/रेलवेज इलाहाबाद/लखनऊ/पुलिस महानिरीक्षक स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।
6–समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, जोन/पीएसी जोन उ0प्र0।
7–समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक,परिक्षेत्र उ0प्र0/पीएसी अनुभाग उ0प्र0।
8–पुलिस उपमहानिरीक्षक स्थापना,उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
9–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0।
10–पुलिस अधीक्षक फूड सेल/राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
11–निदेशक,विधि विज्ञान प्रयोगशाला/फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ/राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।
12–समस्त सेनानायक पीएसी वाहिनी उ0प्र0।
13–अपर पुलिस अधीक्षक,केन्द्रीय वस्त्र भण्डार उ0प्र0 कानपुर।
14–समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवेज/ईओडब्लू/सीबीसीआईडी/अभिसूचना/सर्तकता अधिष्ठान उ0प्र0।

विषयः– प्रदेश पुलिस में मुख्य आरक्षी परिवहन से उपनिरीक्षक परिवहन के पद पर पदोन्ति हेतु उ0प्र0 पुलिस परिवहन शाखा की नव प्रख्यापित **उ0प्र0 पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015** में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत मु0आ0परिवहन की निंर्विवादित वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि इस मुख्यालय के पत्र संख्या–टीएसएम–23/2015 दिनांक 10.11.2015 के द्वारा आपके जनपद/इकाई/मुख्यालय से मुख्य आरक्षी परिवहन से संबंधित निर्धारित प्रारूप में दिनांक 05.01.2016 तक प्राप्त सूचना/विवरण के आधार पर मुख्य आरक्षी, परिवहन की वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है। उक्त वरिष्ठता सूची को जनपद/इकाई/मुख्यालय में नियुक्त मुख्य आरक्षी परिवहन को परिचालित कराते हुये वरिष्ठता सूची के संबंध में आपत्तियां प्राप्त कर तदनुसार वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जाना है। इस मुख्यालय स्तर से तैयार की गयी मुख्य आरक्षी परिवहन की वरिष्ठता सूची उत्तर प्रदेश पुलिस की आफिसियल वेबसाइट https:uppolice.gov.in/ के मीनू Technical Services (TS) के सब मीनू Circulars में अपलोड कर दी गयी है।

2– तैयार की गयी वरिष्ठता सूची, उ0प्र0 शासन द्वारा प्राख्यापित उ0प्र0 पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2015 में परिवहन विभाग के कार्मिकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में किये गये प्राविधानों (भाग–पॉच प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थाईकरण, ज्येष्ठता एवं प्रत्यावर्तन) के अनुसार निम्न मानक दिये गये हैः–

(क) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ

अवधारित की जायेगी कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणम स्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।

(ख) यदि किन्हीं मुख्य आरक्षी परिवहन की नियुक्ति तिथि समान है तो उनकी जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता अवधारित की जायेगी।

(ग) यदि किन्ही मुख्य आरक्षी परिवहन की जन्मतिथियां समान है तो हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में उल्लिखित नामों की अंगेजी वर्णमाला में कम के अनुसार वरिष्ठता अवधारित की जायेगी।

नोटः– तैयार की गयी वरिष्ठता सूची में, जिस वर्ष/तिथि में मुख्य आरक्षी परिवहन को मुख्य आरक्षी परिवहन के पद पर चयन व नियुक्त किया गया है, उसी वर्ष/तिथि से उपरोक्त मानक बिन्दु (क),(ख),(ग) के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।

3– समस्त जनपद/इकाई/मुख्यालय उक्त वरिष्ठता सूची को अपने अधीन नियुक्त मुख्य आरक्षी परिवहन को आवश्यक रूप से परिचालित कराकर यदि किसी मुख्य आरक्षी परिवहन को कोई आपत्ति हो तो एक सप्ताह के अन्दर आपत्तियां प्राप्त कर संकलित आपत्तियां दिनांक 14.01.2016 तक अपनी टिप्पणी सहित इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि किसी मुख्य आरक्षी परिवहन का नाम उक्त वरिष्ठता सूची में छूट गया हो तो संबंधित जनपद/इकाई/ मुख्यालय द्वारा यह अवगत कराया जायेगा कि इनकी सूचना वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने हेतु सूचना तकनीकी सेवायें मुख्यालय को भेजी गयी है अथवा नहीं साथ ही जिस मुख्य आरक्षी परिवहन का नाम वरिष्ठता सूची में न हो तो उसका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उसका आवेदन तथा उससे संबंधित निम्नलिखित प्रारूप में सूचना दिनांक 14.01.2016 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाय।

प्रारूप- (Excel Format)

S. NO	P NO NO.	NAME	DATE OF BIRTH	FATHERS NAME	DATE OF ENLISTMENT AS CONST (PAC/ CP	DATE OF APPOINT MENT AS CONST DRIVER /	DATE OF ENLISTMENT OF HCMT	DATE OF ENLISTMENT OF SIMT	TOTAL LENGTH OF SERVICE TILL DEC 2015	CASTE-SC/ ST/ GEN / OBC	HOME DISTRICT	PRESENT POSTING DISTT/ UNIT	REMARK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4– समस्त जनपद/इकाई/मुख्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी इस मुख्यालय को दिनांक 14.01.2016 तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा कि **"उक्त वरिष्ठता सूची उनके द्वारा अपने जनपद/इकाई/कार्यालय में सभी मुख्य आरक्षी परिवहन को परिचालित करा दी गयी है तथा भेजी जा रहीं आपत्तियों के अतिरिक्त कोई अन्य आपत्तियॉं उनके स्तर पर लम्बित नहीं है।"** नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाली आपत्तियॉं किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी तथा तद्नुसार ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

(अमिताभ यश)
पुलिस महानिरीक्षक,
तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः

1. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी समस्त इकाईयों को इस सम्बन्ध में निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर को उक्त संदर्भ में सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।